



2026:AHC:125058

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 18026 / 2026

नीरज

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी

आवेदक के अधिवक्ता : आनंद कुमार, विनोद कुमार यादव

विपक्षी के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता, संजय पांडेय

न्यायालय संख्या - 4

माननीय न्यायमूर्ति अरुण कुमार सिंह देशवाल

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री विनोद कुमार यादव, प्रथम सूचनाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री संजय पांडेय तथा राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता श्री राकेश कुमार मिश्रा को सुना गया तथा अभिलेख का अवलोकन किया गया।

2. वर्तमान जमानत आवेदन, विचारण के लंबित रहने के दौरान, मुकदमा अपराध संख्या 69 / 2026, अंतर्गत धारा 191(2), 190, 103(1) भारतीय न्याय संहिता, 2023, थाना- नैनी, जिला- प्रयागराज में आवेदक को जमानत पर मुक्त किए जाने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया गया है।

3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का मुख्य तर्क यह है कि अभियोजन पक्ष के मामले के अनुसार, वर्तमान आवेदक सहित 12 व्यक्तियों के विरुद्ध प्राथमिकी इस आरोप के साथ दर्ज कराई गई थी कि सभी अभियुक्त व्यक्ति वर पक्ष की बारात का हिस्सा थे और उनमें से कुछ ने अपना वाहन बगल के भूखंड में खड़ा कर दिया था जो मृतक का था। मृतक द्वारा आपत्ति जताए जाने पर सह-अभियुक्त सुनील ने उसे धमकाना शुरू कर दिया, फिर अन्य सह-अभियुक्त भी मौके पर आ गए और मृतक के साथ मारपीट करने लगे। चीख-पुकार सुनकर अन्य ग्रामीण मृतक को बचाने आए तो सह-अभियुक्त सुनील और अंकित अपनी सरिया फेंककर भाग गए। तत्पश्चात, मृतक को अस्पताल में भर्ती कराया गया परंतु चोटों के कारण उसने दम तोड़ दिया।

4. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार, मृतक को महत्वपूर्ण अंग पर दो विदारित घाव आए थे जो घातक पाए गए, और उक्त चोट पहुँचाने के लिए आवेदक को कोई विशिष्ट भूमिका निर्दिष्ट नहीं की गई है। आवेदक की निशानदेही पर किसी भी हथियार की कोई बरामदगी नहीं हुई है, उसे आवेदक के विरुद्ध किसी भी आपत्तिजनक सामग्री के बिना केवल आशंका और संदेह के आधार पर झूठा फंसाया गया है। यह आगे प्रस्तुत किया गया है कि सह-अभियुक्त बंटी कनौजिया को इस न्यायालय द्वारा आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या 18577 / 2026 में पारित आदेश दिनांक 27.05.2026 के माध्यम से पहले ही जमानत पर रिहा किया जा चुका है। इसलिए, आवेदक की भूमिका भी बिल्कुल समान होने के कारण, वह समानता के आधार पर जमानत पर रिहा होने का हकदार है। यह आगे प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। यह भी

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



प्रस्तुत किया गया है कि वर्तमान आवेदक के विरुद्ध आरोप पत्र दाखिल किया जा चुका है, इसलिए हिरासत में रखकर पूछताछ करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आवेदक एक कानून का पालन करने वाला नागरिक है और वह दिनांक 23.04.2026 से जेल में निरुद्ध है। यदि उसे जमानत दी जाती है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा और विचारण की कार्यवाही में सहयोग करेगा।

5. इसके विपरीत, राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता तथा प्रथम सूचनाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने जमानत की प्रार्थना का कड़ा विरोध किया है, परंतु वे उपरोक्त तथ्यों का खंडन नहीं कर सके।

6. मामले के संपूर्ण तथ्यों और परिस्थितियों, पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों पर विचार करते हुए और अपराध की प्रकृति, साक्ष्य, अभियुक्त की संलिप्तता को ध्यान में रखते हुए तथा जेलों में अत्यधिक भीड़ और विचारण न्यायालयों के समक्ष आपराधिक मामलों के भारी लंबित होने को संज्ञान में लेते हुए, साथ ही सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कपिल वधावन बनाम केंद्रीय जांच ब्यूरो **2025** एससीसी ऑनलाइन एससी **3038** के मामले में दिए गए निर्णय के अधिदेश पर विचार करते हुए और मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, मेरा यह मत है कि आवेदक जमानत पर रिहा होने का हकदार है। तदनुसार, जमानत आवेदन स्वीकार किया जाता है।

7. उपरोक्त अपराध में संलिप्त आवेदक- नीरज को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार एक व्यक्तिगत बंधपत्र और उतनी ही राशि की दो प्रतिभू प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के साथ जमानत पर रिहा किया जाए:—

i. आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा ताकि वह ऐसे तथ्यों को न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष प्रकट करने से विमुख न हो और न ही साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ करेगा।

ii. आवेदक बिना किसी स्थगन की मांग किए निष्ठापूर्वक विचारण/विवेचना में सहयोग करेगा।

iii. आवेदक जमानत पर रिहा होने के पश्चात किसी भी आपराधिक गतिविधि या किसी अपराध कारित करने में संलिप्त नहीं होगा।

iv. आवेदक उसके द्वारा निष्पादित बंधपत्र की शर्तों के अनुसार उपस्थित होगा।

8. उपरोक्त शर्तों में से किसी भी शर्त के उल्लंघन के मामले में, यह जमानत निरस्तीकरण का आधार होगा।

9. बंधपत्र स्वीकार किए जाने से पूर्व संबंधित न्यायालय द्वारा आवेदक और प्रतिभूओं की पहचान, स्थिति और निवास प्रमाण का सत्यापन किया जाए।

10. यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदक को इलाहाबाद उच्च न्यायालय की आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड की गई और संबंधित अधिवक्ता द्वारा सत्यापित प्रति के आधार पर इस वचनपत्र के साथ रिहा किया जाएगा कि प्रमाणित प्रति 15 दिनों के भीतर दाखिल कर दी जाएगी।

11. यह निर्देशित किया जाता है कि विचारण न्यायालय आवेदक की शीघ्र रिहाई सुनिश्चित करने के लिए बेल ऑर्डर मैनेजमेंट सिस्टम (बोओएमएस) के माध्यम से संबंधित जेल को रिहाई आदेश भेजेगा।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



12. कार्यालय को निर्देशित किया जाता है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पॉलिसी स्ट्रैटेजी फॉर ग्रांट ऑफ बेल, इन रि: सुओ मोटो रिट पिटीशन (क्रि.) संख्या 4 / 2021' निर्णय दिनांक 31.01.2023 (2024) 10 एससीसी 685 में रिपोर्टेड के साथ-साथ पिला पाहन उर्फ पीला पाहन व अन्य बनाम झारखंड राज्य व अन्य (आपराधिक) रिट याचिका संख्या 169 / 2025, निर्णय दिनांक 29.05.2026 के मामले में दिए गए आदेश के अनुपालन में 24 घंटे के भीतर संबंधित जेल अधीक्षक के माध्यम से ई-मेल या ई-प्रिज़न पोर्टल द्वारा तथा विचारण न्यायालय को इलेक्ट्रॉनिक मोड से इस आदेश की एक प्रति आवेदक को भेजी जाए।

(अरुण कुमार सिंह देशवाल, जे.)

3 जून, 2026

सी.एस.

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"